UPSH010014142026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।

<u>द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–545/2026</u>

सन्टू सिंह उर्फ मोहित सिंह पुत्र सुरेश सिंह, निवासी ग्राम बण्डी, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।
मु0 अप 0 सं0–406/2018,
एस 0 टी0 संख्या–13/2019,
धारा–376 डी, 506 भा0 दं0 सं0
थाना–बण्डा, जिला शाहजहाँपुर।

<u>09–03–2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सन्टू सिंह उर्फ मोहित सिंह की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता रोहित सिंह द्वारा इन अभिकथनो के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह अभियुक्त की पैरोकार है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न शपथपत्र में कहा गया है कि अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय से न तो खारिज हुआ है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है। रंजिशन झूठा फँसाया गया है। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। दिनांक 04–02–2026 को अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा तारीख की जानकारी नही मिल सकी जिस कारण उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिये गये। अभियुक्त ने जाबूझकर कोई गलत नही की है। अभियुक्त दिनांक 27–02–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त/आवेदक की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 04–02–2026 को एन 0 बी0 डब्ल्यू0 जारी किये गये है। अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया गया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एंव विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना एंव पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त को पूर्व में जमानत पर होना बताया गया है। दिनांक 04–02–2026 को अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा तारीख की जानकारी नही मिल सकी जिस कारण उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिये गये। अभियुक्त ने जाबूझकर कोई गलत नही की है। अभियुक्त दिनांक 27–02–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

Date: 09-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
(J.O. Code No. U.P. 1890)

आदेश

अभियुक्त/आवेदक सन्टू सिंह उर्फ मोहित सिंह, द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–545/2026, मु0 अप0 सं0–406/2018, धारा–376 डी, 506 भा0 दं0 सं0, थाना–बण्डा, जिला शाहजहाँपुर की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त/आवेदक द्वारा अंकन **एक लाख बीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही राशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल किये जाने पर जमानत पर रिहा जाये एवं अभियुक्त इस बात की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करेगा कि वह विचारण न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित होगा।

दिनांकः 09-03-2026

(विष्णु कुमार शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।
जे०ओ०कोड-यू०पी०-1890

Date: 09-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
(J.O. Code No. U.P. 1890)